



प्रेस नोट

थाना चांदीनगर

दिनांक 28.07.2022

हत्या के प्रयास में आरोपी कंवरपाल उर्फ गैंठा, बिटटू, सीटू व लोकेन्द्र को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 10-10 वर्ष कारावास व 15-15 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा ।

कार्यवाही –

अवगत कराना है कि अभियुक्त 1-कंवरपाल उर्फ गैंठा पुत्र शीशपाल उर्फ नवाब, 2- बिटटू पुत्र कृष्णपाल, 3- सीटू पुत्र कृष्णपाल व 4- लोकेन्द्र पुत्र सतपाल निवासीगण ग्राम ढिकौली थाना चांदीनगर जनपद बागपत द्वारा वर्ष-2004 में वादी ओमप्रकाश पुत्र विजयसिंह निवासी ग्राम ढिकौली थाना चांदीनगर के भतीजे धर्मेन्द्र, देवेन्द्र व रविन्द्र पर जान से मारने की नियत से गोली मारकर गम्भीर रूप से घायल करने की घटना कारित की गयी थी । जिसके सम्बन्ध में थाना चांदीनगर पर मु0अ0सं0- 100ए/2004 धारा 307/147/148/149 भादवि व 7 क्रिमिनल ला एक्ट पंजीकृत हुआ था । इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई । जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 28.07.2022 को मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त कंवरपाल उर्फ गैंठा, बिटटू, सीटू व लोकेन्द्र को दोषी पाते हुए धारा 149/307 भादवि में 10-10 वर्ष कारावास व 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड, एवं धारा 148 भादवि में 03 वर्ष कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

दोषसिद्ध अपराधियों का नाम व पता-

- 1- कंवरपाल उर्फ गैंठा पुत्र शीशपाल उर्फ नवाब निवासी ग्राम ढिकौली थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 2- बिटटू पुत्र कृष्णपाल निवासी ग्राम ढिकौली थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 3- सीटू पुत्र कृष्णपाल निवासी ग्राम ढिकौली थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 4- लोकेन्द्र पुत्र सतपाल निवासी ग्राम ढिकौली थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना खेकड़ा

दिनांक 28.07.2022

थाना खेकड़ा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 303/2022 धारा 380 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी किये हुए रूपयों में से 1621/ रूपये नगद बरामद ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 26.07.2022 को थाना खेकड़ा पर वादी श्री लक्ष्मण पुत्र स्व0 गिने निवासी रविदास मन्दिर के पास कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत ने तहरीर दी कि अभियुक्त अरूण पुत्र पप्पू निवासी मौ0 विजयनगर महेन्द्र की कोठी के सामने वाली गली कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत द्वारा वादी के घर से 8000/- रूपये व पीली धातु की दो अंगुठी चोरी चोरी कर ली । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 303/2022 धारा 380 भादवि पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 303/2022 धारा 380 भादवि में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । जिसके कब्जे से चोरी किये हुए रूपयों में से 1621/- रूपये नगद बरामद हुए हैं ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. अरुण पुत्र पप्पू निवासी मौ० विजयनगर कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी किये हुए रूपयों में से 1621/- रूपये नगद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ०नि० श्री वृक्षपाल सिंह थाना खेकड़ा बागपत ।
2. का० 447 पंकज कुमार थाना खेकड़ा बागपत ।
3. का० 1083 शुभम राणा थाना खेकड़ा बागपत ।



प्रेस नोट

थाना बालैनी

दिनांक 28-07-2022

थाना बालैनी पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 102/22 धारा 354 भादवि व धारा 7/8 पोक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 102/22 धारा 354 भादवि धारा 7/8 पोक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1-साजिद पुत्र अब्दुल रजाक निवासी ग्राम दौलतपुर थाना बालैनी जनपद बागपत ।

गिरफ्तार/बरामद करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0- श्री प्रदीप कुमार थाना बालैनी जनपद बागपत ।

2-का0 958 रामनरेश कुमार थाना बालैनी जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना बिनौली

दिनांक 28-07-2022

थाना बिनौली पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

1- अशरफ पुत्र अतहर निवासी ग्राम बरनावा थाना बिनौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री सोनवीर सिंह थाना बिनौली बागपत

2- का0 667 दीपक कुमार थाना बिनौली बागपत



प्रेस नोट

थाना चांदीनगर

दिनांक 28.07.2022

थाना चांदीनगर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 156/22 धारा 307/323/504/506/34 भादवि में वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 22.07.2022 को थाना चांदीनगर पर वादी सूरजवली पुत्र गोकल ने सूचना दी कि उसके पड़ोस में रहने वाले अंकित, गौरव, रोहताश, कर्मवीर निवासीगण ग्राम मंसूरपुर थाना चांदीनगर जनपद बागपत ने एक साथ मिलकर गाली-गलौज व मारपीट करते हुए उसके भतीजे विपिन पुत्र ओमपाल को जान से मारने की नियत से तमंचे से गोली मारकर घायल कर दिया, बचाने आये वादी व उसके भाई ओमपाल के साथ गाली-गलौज, मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी गयी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चांदीनगर पर मु0अ0सं0 156/22 धारा 307/323/504/506/34 भादवि पंजिकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 156/22 धारा 307/323/504/506/34 भादवि में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

नोट:- उपरोक्त अभियोग में थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा पूर्व में एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- गौरव पुत्र रोहताश निवासी ग्राम मंसूरपुर थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास:-

- 1.मु0अ0 सं0 114/2013 धारा 147/352/504/506 भादवि थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
- 2.मु0अ0सं0 156/2022 धारा 323/504/506/307/34 भादवि थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0- श्री विनोद कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत
- 2-का0- 912 सूरज सिकरवार थाना चांदीनगर जनपद बागपत
- 3-का0 556 इलियास अहमद थाना चांदीनगर जनपद बागपत